वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2022–23

नागरिक उड्डयन विभाग,

राजस्थान सरकार

नागरिक उड्डयन विभाग,
राजस्थान सरकार

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरणपृष्ठ	संख्या
1	निदेशालय का ढांचा	1
2	स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण	2
3	निदेशालय के कार्य एवं प्रकृति	3
4	हवाई बेडा	3
5	हैंगर एवं वीआईपी कॉम्पलेक्स का निर्माण	4
6	रीजनल कनेक्टीविटी एवं इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा	4-5
7	राजस्थान राज्य उडडयन शाला	6
8	हवाई पट्टियों का विवरण, निर्माण एवं विकास	6-8
9	वित्तीय प्रगति	9-10

नागरिक उड्डयन विभाग

नागरिक उड्डयन गतिविधियों के संचालन हेतु इस विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नागरिक विमानन स्थापित है, जिसका गठन दिनांक 01.04.2012 को किया गया था।

1. <u>निदेशालय का ढांचा</u> :-

माननीय मंत्री, नागरिक उड्डयन राजस्थान
↓
शासन सचिव एवं महानिदेशक, नागरिक उड्डयन
↓
निदेशक, निदेशालय नागरिक विमानन
(विभागाध्यक्ष)
↓

परिचालन एवं तकनीकी शाखा
↓ चीफ पायलेट ऑफिसर
↓ चीफ एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियर
↓ सीनियर पायलेट ऑफिसर
↓ पायलेट ऑफिसर
↓ जूनियर पायलेट
↓ एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियर
↓ प्रबन्धक ऑपरेशन
↓ क्वालिटी मैनेजर
↓ सहायक अभियन्ता (सिविल)
↓ कन्टीन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर (कैम)
↓ स्किल्ड मैकेनिक
↓ फ्लाईट डिस्पेचर
↓ सहायक सुरक्षा अधिकारी
↓ स्टोर कीपर
↓ सेमी स्किल्ड मैकेनिक
↓ तकनीकी सहायक
↓ अनस्किल्ड मैकेनिक
↓ हैल्पर तकनीकी

प्रशासनिक एवं लेखा शाखा
↓ अतिरिक्त निदेशक
↓ मुख्य लेखाधिकारी (कार्यालयाध्यक्ष)
↓ सहायक लेखाधिकारी-प्रथम
↓ सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय
↓ निजी सहायक
↓ स्टेनोग्राफर ग्रेड द्वितीय
↓ सहायक प्रशासनिक अधिकारी
↓ कनिष्ठ लेखाकार
↓ वरिष्ठ सहायक
↓ सूचना सहायक
↓ विधि सहायक
↓ कनिष्ठ सहायक
↓ वाहन चालक
↓ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
↓

2. स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरणः–

निदेशालय नागरिक विमानन में आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरणः–

क्र.सं.	पदनाम	पे मैट्रिक्स लेवल	ग्रेड पे	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे हुए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	निदेशक		RAS/IAS Cadre	1	1	–
2.	अतिरिक्त निदेशक	L-19	7600	1	–	1
3.	चीफ पायलेट ऑफिसर	L-24	10000	1	–	1
4.	चीफ एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियर	L-21	8700	1	–	1
5.	मुख्य लेखाधिकारी	L-19	7600	1	–	1
6.	सीनियर पायलेट ऑफिसर	L-22	8900	2	–	2
7.	पायलेट ऑफिसर	L-21	8700	2	–	2
8.	जूनियर पायलेट	L-20	8200	3	–	3
9.	प्रबन्धक ऑपरेशन	L-12	4800	1	–	1
10.	एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस इंजीनियर	L-18	7200	1	–	1
11	क्वालिटी मैनेजर	L-15	6000	1	–	1
12.	सहायक अभियन्ता (सिविल)	L-14		1	–	1
13.	सहायक लेखाधिकारी–प्रथम	L-12	4800	1	1	–
14.	सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय	L-11	4200	1	–	1
15.	निजी सहायक	L-11	4200	1	1	–
16.	स्टेनोग्राफर ग्रेड द्वितीय	L-10	3600	1	–	1
17.	कन्टीन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजर (कैम)	L-11	4200	1	–	1
18.	फ्लाईट कॉर्डिनेटर/डिस्पेचर	L-10	3600	2	–	2
19.	तकनीकी सहायक	L-10	3600	1	–	1
20.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	L-10	3600	2	–	2
21.	कनिष्ठ लेखाकार	L-10	3600	2	1	1
22.	विधि सहायक	L-8	2800	1	–	1
23.	वरिष्ठ सहायक	L-8	2400	2	–	2
24.	सूचना सहायक	L-8	2800	2	1	1
25.	कनिष्ठ सहायक	L-5	2400	4	2	2
26.	स्किल्ड मैकेनिक	L-10	3600	3	–	3
27.	स्टोर कीपर	L-10	3600	2	–	2
28.	सेमी स्किल्ड मैकेनिक	L-5	2400	2	–	2
29.	सहायक सुरक्षा अधिकारी	L-8	2400	1	–	1
30.	वाहन चालक	L-5	2400	1	1 (होमगार्ड के माध्यम से)	–
31.	अनस्किल्ड मैकेनिक	L-1	1700	2	1	1
32.	हैल्पर तकनीकी	L-2	1750	1	–	1
33.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	L-1	1700	4	1 (अनुबंध पर) 2 (जॉब बेसिस पर)	1
	कुल योग			53	12	41

3. निदेशालय के कार्य एवं प्रकृतिः–

इस निदेशालय द्वारा राज्य में नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित निम्नांकित कार्यों का सम्पादन किया जाता हैः-

i. अतिविशिष्ट व्यक्तियों के यात्रा कार्यक्रम एवं अन्य राजकीय कार्यों हेतु बाजार से वायुयानों/हैलीकॉप्टर की व्यवस्था किया जाना।

ii. रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम एवं इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा के अन्तर्गत राज्य में यात्री विमानों एवं हैलीकॉप्टर का परिचालन करवाया जाना।

iii. राजकीय हवाई पट्टियों एवं हैलीपेड के विकास, विस्तार, अनुरक्षण, इत्यादि के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति लिया जाना तथा योजना मद के अन्तर्गत बजट आवंटन करना।

iv. नागरिक उड्डयन से संबंधित पॉलिसी कार्यों का सम्पादन।

v. नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित प्रकरणों पर नीतिगत तकनीकी राय/सुझाव दिया जाना।

vi. राज्य सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार में प्रतिनिधित्व किया जाना।

vii. नागरिक उड्डयन से सम्बन्धित अन्य सभी प्रकार के कार्य।

वर्ष के दौरान किये गये प्रमुख कार्य/उपलब्धियांः-

4. **हवाई बेडा :**–राज्य सरकार के हवाई बेड़े में किंग एयर सी 90ए, किंग एयर बी 200 एवं अगस्ता हैलीकॉप्टर उपलब्ध थे। इन विमानों एवं हैलीकॉप्टर का निस्तारण किया जा चुका है तथा वर्तमान में हवाई बेडे में राज्य का कोई विमान/हैलीकाप्टर उपलब्ध नहीं है।

राज्य सरकार के उपयोग हेतु वर्तमान में एक मल्टी इंजन हैलीकाप्टर अनुबन्ध के आधार पर प्राप्त किया हुआ है। इसके अतिरिक्त विमान की मांग प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार बाजार से मल्टी ईंजन विमान चार्टर के आधार पर लिया जाता है।

5. हैंगर एवं वी0आई0पी0 कॉम्पलैक्स का निर्माण :-

वर्तमान में निदेशालय का कार्यालय एवं वी0आई0पी0 कक्ष राजस्थान राज्य उडडयन शाला को आवंटित हैंगर में जयपुर एयरपोर्ट की परिधि के भीतर स्थापित है। राज्य सरकार के विमानों हेतु दो हैंगर एवं एक वी0आई0पी0 कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु चालु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जयपुर एयरपोर्ट पर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से 3960 वर्गमीटर भूमि राशि 1/- रुपये के टोकन पर आंवटित करवायी जाकर अनुबंध सम्पादित किया जा चुका है। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. रीजनल कनेक्टीविटी एवं इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा :-

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में रीजनल कनेक्टीविटी स्कीम लागू की गयी थी। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध अनुपयोगी/अल्प उपयोगी एयरपोर्ट को हवाई सेवा से जोडना तथा देश के आम नागरिक को कम लागत पर उडान की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत हवाई सेवा का परिचालन बिना राज्य सरकारों के सहयोग के संभव नहीं है। राजस्थान राज्य द्वारा इस स्कीम में सहभागिता दर्शाते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ दिनांक 20.03.2017 को एम0ओ0यू0 संपादित किया गया था। इस एम0ओ0यू0 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य में इस स्कीम के अन्तर्गत संचालित होने वाली उडानों के कुल वी0जी0एफ0 का 20 प्रतिशत हिस्सा, एयरपोर्ट पर निःशुल्क सुरक्षा व अग्निशमन की व्यवस्था, आवश्यक होने पर एयरपोर्ट के विस्तार हेतु निःशुल्क भूमि, इस सेवा हेतु एवियेशन टरबाइन फ्यूल पर वैट की दर 1 प्रतिशत किये जाने तथा रियायती दर पर बिजली एवं पानी की सुविधा दिया जाना निर्धारित है। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग द्वारा ऐसी उडानों पर एवियेशन टर्बाइन इंधन पर वेट की दर दिनांक 08.03.2017 से 1 प्रतिशत निर्धारित की हुई है तथा संचालित उडानों के वी0जी0एफ0 की 20 प्रतिशत हिस्से की राशि का नियमित भुगतान किया जा रहा है। उक्त सेवा वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुई थी। इस सेवा पर राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 31.74 करोड रू0 के वी0जी0एफ0 का भुगतान किया जा चुका है।

उक्त एम0ओ0यू0 के अनुसार राज्य में इस स्कीम के अर्न्तगत निम्नांकित मार्गो पर वायु सेवा संचालित हुई है ।

1. इंदौर-किशनगढ़-इंदौर
2. दिल्ली-बीकानेर-दिल्ली
3. अहमदाबाद-जैसलमेर-अहमदाबाद
4. दिल्ली-किशनगढ-दिल्ली
5. सूरत-जैसलमेर-सूरत
6. किशनगढ-हैदराबाद-किशनगढ
7. अहमदाबाद-किशनगढ-अहमदाबाद
8. सूरत-किशनगढ-सूरत

बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य में इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा प्रारम्भ करवाये जाने के क्रम में भारत सरकार की RCS UDAN Small Aircraft Sub Scheme (SAS) के अन्तर्गत एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया का कार्यकारी एजेन्सी के रूप में चयन कर निम्न मार्गो पर इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवा संचालित करवाये जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ।

1.लालगढ,जाटान - (श्रीगगांनगर) - जयपुर-लालगढ़,जाटान,
2.बीकानेर-जयपुर-बीकानेर
3.जैसलमेर-जोधपुर-जयपुर-जोधपुर-जैसलमेर
4.जयपुर-सवाई माधोपुर-भरतपुर-सवाई माधोपुर-जयपुर
5.कोटा-जयपुर-कोटा-जोधपुर-कोटा
6.जयपुर-उदयपुर-आबूरोड़-उदयपुर-जयपुर
7.उदयपुर-जोधपुर-किशनगढ़-जोधपुर-उदयपुर
8.बासंवाड़ा-उदयपुर-कोटा-उदयपुर-बांसवाड़ा

उपरोक्त 8 इन्ट्रास्टेट हवाई मार्गो पर उडाने संचालित करवाये जाने हेतु उप सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से अग्रिम कार्यवाही करवाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

7. राजस्थान राज्य उड्डयन शाला:-

राजस्थान राज्य उड्डयन शाला, नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन सोसायटी एक्ट में पंजीकृत एक संस्था है। इस संस्था का मुख्य कार्य राज्य में प्रशिक्षणार्थियों को उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाना है। राजस्थान राज्य में इस प्रकार की यह एक मात्र संस्था वर्ष 1975 से स्थापित है। इस संस्था में उड़ान का प्रशिक्षण पूर्व में सैसना 152, सैसना 172 एवं पॉवर मोटर ग्लाईडर के माध्यम से दिया जाता था। वर्ष 2008 के पश्चात् से ही इस संस्था में प्रशिक्षण उड़ान की गतिविधियां बन्द है इस कारण लीज पर आवंटित उक्त विमान एवं ग्लाइडर मैसर्स एयरो क्लब ऑफ इण्डिया को लौटाये जा चुके है। वर्ष 2020-21 में इस संस्था में उडान गतिविधिया पुन: प्रारम्भ किये जाने की बजट घोषणा की गई थी। सस्ंथा की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भी वर्ष 2020 में इसे पीपीपी मोड् के आधार पर संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया था। इस संबध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8. हवाई पट्टियों का विवरण, निर्माण एवं विकास :-

राजस्थान राज्य में वर्तमान में कुल 33 एयरपोर्ट/हवाई पट्टियां उपलब्ध है। इनमें से 4 एयरपोर्ट क्रमश: जयपुर, उदयपुर, कोटा एवं किशनगढ़ (अजमेर) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा 6 एयरपोर्ट क्रमश: बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सूरतगढ़ एवं फलौदी भारतीय वायुसेना/सेना के अधीन है। शेष 23 हवाई पट्टियों में से 4 हवाई पट्टियां क्रमश: कांकरोली (जे.के. ग्रुप), पिलानी (बिड़ला ग्रुप), वनस्थली (वनस्थली विद्यापीठ) एवं बारां (अडानी ग्रुप) की है। अन्य शेष रही हवाई पट्टियां राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिसके अनुरक्षण, विकास, विस्तार एवं निर्माण का कार्य नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा संबंधित जिला कलक्टर के परिवीक्षण में सार्वजनिक निर्माण विभाग से करवाया जाता है।

राजकीय हवाई पट्टियों का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	हवाई पट्टी का नाम	जिला	हवाई पट्टी का आकार	सतह
1.	आबू रोड़	सिरोही	3800 × 50 फीट	पक्की
2.	डोवरा	डूंगरपुर	4900 × 100 फीट	पक्की
3.	हमीरगढ़	भीलवाड़ा	5000 × 100 फीट	पक्की
4.	झुन्झुनू	झुन्झुनू	5000 × 100 फीट	पक्की
5.	कोलाना	झालावाड़	5976 × 100 फीट	पक्की
6.	लालगढ़	श्रीगंगानगर	4297 × 150 फीट	पक्की
7.	नागौर	नागौर	5000 × 100 फीट	पक्की
8.	नून .	जालौर	5500 × 100 फीट	पक्की
9.	फलौदी	जोधपुर	5000 × 100 फीट	पक्की
10.	सिरोही	सिरोही	5904 × 100/150 फीट	पक्की
11.	सोजत	पाली	3600 × 100 फीट	पक्की
12.	चकचैनपुरा	सवाईमाधोपुर	5200 × 100 फीट	पक्की
13.	तारपुरा	सीकर	5023 × 100 फीट	पक्की
14.	थानागाजी	अलवर	3445 × 100 फीट	पक्की
15.	तलवाड़ा	बांसवाड़ा	6002 × 100 फीट	पक्की
16.	परिहारा	चुरू	5000 × 100 फीट	पक्की
17.	कुम्हेर	भरतपुर	3200 × 100 फीट	पक्की
18.	प्रतापगढ	प्रतापगढ	5200 × 100 फीट	पक्की
19	विश्नोदा	धौलपुर	5700 × 100 फीट	पक्की

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के स्वामित्व की दस हवाई पट्टियों को सेफ स्टेज पर लाये जाने हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है :-

	हवाई पट्टी का नाम		राशि
1.	परिहारा (चुरू)	-	460.00 लाख
2.	तलवाडा (बांसवाडा)	-	340.00 लाख
3.	सिरोही	-	450.00 लाख
4.	आबूरोड (सिरोही)	-	400.00 लाख
5.	हमीरगढ (भीलवाडा)	-	05.00 लाख
6.	कुम्हेर (भरतपुर)	-	200.00 लाख
7.	कोलाना (झालावाड)	-	1400.00 लाख
8.	फलौदी (जोधपुर)	-	197.00 लाख
9.	तारपुरा (सीकर)	-	200.00 लाख
10.	चकचैनपुरा (सवाईमाधोपुर)	-	123.35 लाख
	कुल राशि	-	3775.35 लाख

7. वित्तीय प्रगति :—वर्ष 2022-23 में निदेशालय के लिए आयोजना भिन्न में राशि 3728.96 लाख रूपये का निम्नानुसार प्रावधान रखा गया है तथा इस प्रावधान के विरूद्व31 दिसम्बर, 2022 तक हुए व्यय राशि 2466.12 लाख रूपये का मद वार विवरण निम्न प्रकार है:-

(अ) बजट मद 2070-00-114-06-01 (आयोजना भिन्न)

(रूपये लाखों में)

मद	बजट प्रावधान (आय व्ययक अनुमान)	दिनांक 31.12.2022 तक हुए व्यय का विवरण
01—संवेतन	120.00	77.79
03—यात्रा व्यय	1.00	0.24
04—चिकित्सा व्यय	0.01	0.00
05—कार्यालय व्यय	7.00	1.28
06—वाहनों का क्रय	0.00	0.00
07—कार्यालय वाहनों का संचालन एवं संधारण	1.00	0.55
08—वृत्तिक और विशिष्ट सेवाऐं	49.00	33.25
09—किराया, रेट और कर/रॉयल्टी	6.00	0.00
11—विज्ञापन, विक्रय प्रचार और प्रसार	5.00	4.96
14—सत्कार/आतिथ्य/उपहार व्यय आदि	4.00	0.82
18—मशीनरी और साज सामान/औजार एवं संयत्र	50.00	0.68
19—विधुत प्रभार एवं जल व्यय	100.00	44.42
21—अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स)	120.00	0.57
29—प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय	1.00	0.00
31—पुस्तकालय एवं पत्र पत्रिकाओं पर व्यय	5.00	0.01
32—डिकी	0.01	0.00
36—वाहनों का किराया	3.00	1.98
37—वर्दियां तथा अन्य सुविधाएं	0.02	0.02
38—लेखन सामग्री व्यय	0.90	0.31
39—मुद्रण व्यय	0.50	0.06
41—संविदा व्यय	50.00	17.84
42—प्रोत्साहन एवं मानदेय व्यय	0.01	0.00
57—विभागों द्वारा विशिष्ट सेवाओं पर व्यय	0.01	0.00
62—कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्सम्बन्धी संचार व्यय	5.50	2.83
योग (अ)	**528.96**	**187.61**

(ब) बजट मद 2070–00–114–05–00 (आयोजना भिन्न)

(रूपये लाख में)

मद	बजट प्रावधान (आय व्ययक अनुमान)	दिनांक 31.12.2022 तक हुए व्यय का विवरण
36–वाहनों का किराया	3200.00	2278.51
योग (ब)	3200.00	2278.51
कुल योग (अ+ब)	**3728.96**	**2466.12**

हवाई पट्टियों के विकास एवं विस्तार हेतु, आर.सी.एस.(वी.जी.एफ.) हेतु तथा नवीन मिड साइज जेट विमान एवं हैलीकॉप्टर क्रय हेतु योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल राशि 41775.35 लाख रूपये का निम्नानुसार प्रावधान रखा गया है तथा इस प्रावधान के विरूद्ध31 दिसम्बर, 2022 तक हुए व्यय राशि 2147.11 लाख रूपये का मदवार विवरण निम्न प्रकार है:-

(स) आर.सी.एस.(वी.जी.एफ.) स्कीम (योजना)

(रूपये लाख में)

मद	बजट प्रावधान (आय व्ययक अनुमान)	दिनांक 31.12.2022 तक हुए व्यय का विवरण
91–सहाय(सब्सिडि) 2070–00–114–07–01.–91	1500.00	225.89
योग(स)	**1500.00**	**225.89**

(द) हवाई पट्टी पट्टियों हेतु बजट आवंटन (योजना)

(रूपये लाखों में)

मद	बजट प्रावधान (पत्रावली पर अनुमोदित)	दिनांक 31.12.2022 तक हुए व्यय का विवरण
(1) 5054–04–337–16–00–74	2943.66	1316.84
(2) 5054–04–789–14–00–74	757.77	431.97
(3) 5054–04–796–17–00–74	573.92	172.41
योग(द)	**4275.35**	**1921.22**

(इ) नवीन मिड साइज जेट विमान एवं हैलीकॉप्टर क्रय हेतु बजट आवंटन (आयोजना मद व्यय)

(रूपये लाखों में)

मद	बजट प्रावधान (आय व्ययक अनुमान)	दिनांक 31.12.2022 तक हुए व्यय का विवरण
(1) 4070–00–800–(01)–(01)–59	36000.00	0.00
योग (इ)	36000.00	0.00
कुल योग(स+द+इ)	**41775.35**	**2147.11**